न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 372 / 19 वाद GCMS NO : 019/00533
पूर्व प्रकरण संख्या : 353 / 10

1. हिम्मत सिंह पिता स्व. श्री मोहन लाल जी कोठारी
2. भगवतीलाल पिता स्व. श्री मोहन लाल जी कोठारी
3. भूरीलाल पिता स्व. श्री मोहन लाल जी कोठारी
4. ललित पिता स्व. श्री मोहन लाल जी कोठारी

सर्व निवासीयान मटून तहसील गिर्वा, हाल–निवासीयान– मण्डी की नाल, तहसील गिर्वा, उदयपुर

.....वादी

बनाम

1. श्री देवीसिंह पिता स्व. श्री लालसिंह राजपूत, निवासी–मटून, तहसील–गिर्वा उदयपुर के बजाय :–
   1 / 1 श्रीमती भगवती कुंवर पत्नि स्व. श्री देवी सिंह जी देवड़ा
   1 / 2 भगवत सिंह पिता स्व. श्री देवीसिंह देवड़ा
   1 / 3 शंभू सिंह पिता स्व. श्री देवीसिंह देवड़ा
   1 / 4 श्रीमती भंवर कंवर पिता स्व. श्री देवीसिंह देवड़ा
   1 / 5 श्रीमती फुलकंवर पिता स्व. श्री देवीसिंह देवड़ा
   1 / 6 श्रीमती रेखा कंवर पिता स्व. श्री देवीसिंह देवड़ा
   सर्व निवासीयान निवासी–मटून, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
2. किशन सिंह पिता स्व. लाल सिंह राजपूत, निवासी–मटून, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.......प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थितः– श्री कमलेश चौहान अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक :06.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त बाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम मटून, पटवार मण्डल मटून, भू अभिलेख क्षेत्र भोईयों की पंचोली तहसील गिर्वा, उदयपुर में खाता संख्या 122 आराजी संख्या 492 रकबा 0.0350 हैक्टयर भूमि में वादीगण के स्वामित्व, अधिपत्य की बाड़ा भूमि स्थित है। [illegible] में सरकारी रास्ता, पश्चिम में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्वर्गीय पिता लालसिंह पुत्र जोरावर सिंह जी देवड़ा का खेत, उत्तर में नानालाल पुत्र स्वर्गीय बाबरू कुम्हार व दूदा कुम्हार का बाड़ा जिसे इनके द्वारा भेरूसिंह व भंवरसिंह से खरीद किया गया व दक्षिण में अम्बालाल, राजेश पिता पृथ्वीराज जी कोठारी का बाड़ा जिसे इनके पिता द्वारा तख्तसिंह जी से खरीद किया गया। उक्त चारों पड़ौस के मध्य स्थित बाड़ा भूमि की लम्बाई 29 गज (58 फीट) व चौड़ाई 23 गज (46 फिट) होकर कुलिया क्षेत्रफल 2668 वर्गफिट है।

उक्त वर्णित पड़ौस व नाप का बाड़ा श्री धनराज पिता फुलचंद जी कोठारी एवं उनके पुत्र श्री मोहनलाल जी कोठारी, पृथ्वीराज जी, मगनलाल जी व नन्दलाल जी कोठारी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.09.1960 ईस्वी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्वर्गीय पिता श्री लालसिंह जी पिता जोरावर सिंह देवड़ा राजपुत निवासी–मटून तहसील–गिर्वा, उदयपुर से बिल एवज रूपया 300/– रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जिसका पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक, उदयपुर में पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 34, पृष्ठ संख्या 367 से 368 के क्रम संख्या 1174 पर दिनांक 10.10.1960 ईस्वी को किया गया था।

वाद वर्णित बाड़े पर खरीद की दिनांक से वादीगण के पिता व उनके भाई मालिकाना हक से काबिज चले आ रहे थे व उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे थे। वादीगण के पिता व उनके भाईयों ने आपस में परिवारिक बंटवाड़ा हुआ। जिसमें उपरोक्त वर्णित बाड़ा वादीगण के पिता मोहनलाल जी कोठारी के हक व हिस्से में आया जिनका दिनांक 15.01.1991 को स्वर्गवास हो गया है व उनके स्वर्गवास के उपरांत वादीगण उक्त बाडे पर वारिसाना हक से मालिक होकर काबिज चले आ रहे है। वादीगण के पिता व उनके भाई बन्धु को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्वर्गीय पिता द्वारा राजस्व ग्राम मटून की आराजी संख्या 492 रकबा 0.0350 हैक्टयर भूमि में से उपरोक्त पड़ौस के मध्य की कुलिया 2668 वर्गफिट भूमि विक्रय की गई जिस पर आज दिनांक तक वादीगण का बेरोकटोक लगातार मालिकाना हक से कब्जा चला आ रहा है जिसके तीन आरे पत्थर की कोट व रोड़ की तरफ पक्की पत्थरों की दीवार बनी हुई है। इस प्रकार वादीगण आराजी संख्या 492 रकबा 0.0350 हैक्टयर भूमि में से 2668 वर्गफिट यानि 0.0250 हैक्टयर बाड़े की भूमि के मालिक होकर खातेदारी हक से उक्त भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद के आधार पर उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में क्रेताओं के नाम पर अंकित होनी चाहिए थी, लेकिन राजस्व रेकार्ड में क्रेताओं के नाम पर अंकित होनी चाहिए थी किन्तु क्रेताओं के नाम पर अंकन नही होने से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम पर ही दर्ज रही और उनकी मृत्यु के उपरांत प्रवितादी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि भी अन्य भूमि के साथ अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित करा ली गई है जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कृत्य गलत होकर वादीगण अपने खरीदशुदा भूमि की खातेदारी हक से घोषणा कराकर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा गलत तौर से उक्त भूमि को अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन करा देने से अब उक्त भूमि को अन्य को विक्रय करने पर आमदा है, और वादीगण को जबरन उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। अतः निवेदन है कि बाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात आराजी संख्या 492 रकबा 0.0350 हैक्टयर में से 2068 वर्गफिट यानि 0.0250 हैक्टयर भूमि जिसके पडौस व नाप बाद उपरोक्त वर्णित है, का खातदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाये।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश कर अंकित किया गया कि राजस्व ग्राम मटून आबादी से लगता हुआ बाड़ा जिसके आराजी संख्या 492 रकबा 0.0350 हैक्टयर है जो राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश कर अंकित किया गया कि राजस्व ग्राम मटून में प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता के नाम पर दर्ज थी जिनका स्वर्गवास करीब 25 वर्ष पहले हो जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण के नाम नामान्तरित किया गया जो आज दिनांक तक प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम दर्ज है और बाडे पर कब्जा भी पूर्वजों के समय प्रतिवादी संख्या 1 व उनके परिवार का है। प्रतिवादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण के दादाजी द्वारा कभी भी उक्त बाड़े को अथवा किसी भी व्यक्ति को उनके जीवनकाल में विक्रय नहीं किया गया। वादीगण द्वारा जिस कथित विक्रय पत्र का उल्लेख उक्त बाद पत्र में किया गया है वह प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है। वादीगण अथवा उनके पिता द्वारा कोई फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया जाना प्रतीतहोता है क्यों कि प्रतिवादी के पिता द्वारा कभी भी उक्त बाडे अथवा किसी भी भूमि के विक्रय करने का कोई जिक्र अपने जीवन काल में प्रतिवादीगण 1 व 2 या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के समक्ष नहीं किया गया। वादीगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में 1960 से 1991 तक 30 वर्षो तक उक्त बाड़े को अपने नाम नामान्तरित करवाने की कार्यवाही ही की गई और कब्जा प्राप्त करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। वादग्रस्त बाड़ा ग्राम मटून के आबादी हल्के में स्थित है तथा बाड़े की भूमि कृषि भूमि नहीं होकर पशुओं के बांधने या मकान बनाकर रिहायशी उपयोग की जाने वाली भूमि है वादीगण ने उसका नाप भी वर्गफिट मे अंकित किया है ऐसी सूरत में कृषि भूमि नहीं होने से सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के जन्म से पूर्व से ही प्रतिवाद के पिता जी व दादा का कब्जा था जो कि प्रतिवादी संख्या व 2 को विरासत में मिला है एवं उसी आधार पर नामान्तरणर हुए है। अतः निवेदन है कि वादी का वाद निरस्त फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 से 5 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रस्तुत दावे व जवाब दावे के आधार पर दिनांक 26.08.19 को न्यायालय द्वारा निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादीगण ग्राम मटून तहसील गिर्वा उदयपुर की आराजी संख्या 492 रकबा0. 0350 है0 भूमि में से 2668 वर्गफिट भूमि जिसके पड़ौस व नाप बाद की कलम संख्या 1 में वर्णित है का स्वयं को खातेदार घोषित [illegible] राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested

.....वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है वे आराजी संख्या 492 में वादीगण के मालिकाना हक की कलम संख्या 1 में वर्णित पड़ौस व नाम की भूमि में वादीगण को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, वादीगण के उपयोग–उपभोग में विघ्न व बाधा उत्पन्न नहीं करे ?

.....वादीगण

3. अनुतोष ।

प्रकरण में वादी अधिक्ता द्वारा साक्ष्य में PW1 भूरीलाल पिता स्व. मोहनलाल जी कोठारी एवं PW2 ललित पिता स्व. मोहनलाल जी कोठारी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज साक्ष्य में बेहनामा की असल प्रति प्रदर्श–1 है, जिसे वादी द्वारा साक्ष्य के समय न्यायालय में पेश किया जिसे न्यायालय ने बाद जांच कर असल विक्रय पत्र पर प्रद्रर्श–ए4 डालकर वादिया का पुनः लौटाया। बेहसनामा की फोटोप्रति प्रदर्श–1ए है। जमाबन्दी संवत् 2064 से 67 ग्राम मटून खाता संख्या 112 आराजी 492 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2, फोटोग्राफ प्रदर्श–3 से 7 व दस्तावेज सीडी प्रदर्श–8 है। प्रतिवादी अधिवक्ता को पर्याप्त असवर दिए जाने के बावजूद जिरह नहीं करने से प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता को साक्ष्य पेश करने से पर्याप्त असवर दिए गए. किन्तु साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्य अक्सर बंद किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

वादी विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने वाद पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयातं अधिपत्य की बाड़ा भूमि होकर वादीगण के पूर्वाधिकारी श्री धनराज पिता फुलचंद जी कोठारी एवं उनके पुत्र श्री मोहनलाल जी कोठारी, पृथ्वीराज जी, मगनलाल जी व नन्दलाल जी कोठारी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्वर्गीय पिता श्री लालसिंह जी पिता जोरावर सिंह देवड़ा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। जिस पर खरीद की दिनांक से वादीगण के पिता व उनके भाई मालिकाना हक से कब्जा रहा है। वादीगण के पिता व उनके भाईयों ने आपस में परिवारिक बंटवाड़ा हुआ जिससे उपरोक्त वर्णित बाड़ा वादीगण के पिता मोहनलाल जी कोठारी के हक व हिस्से में आया उनके स्वर्गवास के उपरांत वादीगण उक्त बाडे पर वारिसाना हक से मालिक होकर काबिज चले आ रहे है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद के आधार पर उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में क्रेताओं के नाम पर अंकित होनी चाहिए थी, किन्तु क्रेताओं के नाम पर अंकन नही होने से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम पर ही दर्ज रही और उनकी मृत्यु के उपरांत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि भी अन्य भूमि के साथ अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित करा ली गई है जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कृत्य गलत होकर वादीगण आपसे वादग्रस्तशुदा भूमि की खातेदारी हक से घोषणा कराकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त पत्रावली में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

1. आया वादीगण ग्राम मटून तहसील गिर्वा उदयपुर की आराजी संख्या 492 रकबा 0.0350 है0 भूमि में से 2668 वर्गफिट भूमि जिसके पड़ौस व नाप बाद की कलम संख्या 1 में वर्णित है का स्वयं को खातेदार घोषित करवा कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है ?

.....वादी

➢ तनकी सख्या 1 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है। उक्त तनकी वादीगण के जिम्मे होने से वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में बेहनामा प्रदर्श–1ए पेश किया गया जिसके अनुसार उक्त चारों पड़ौस के मध्य स्थित बाड़ा भूमि की लम्बाई 29 गज (58 फीट) व चौड़ाई (46 फिट) होकर कुलिया क्षेत्रफल 2668 वर्गफिट है। उक्त वर्णित नाप का बाड़ा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्वर्गीय पिता श्री लालसिंह जी पिता जोरावर सिंह देवड़ा राजपुत निवासी–मटून तहसील–गिर्वा, उदयपुर द्वारा बिल एवज रूपया 300/– रूपये में श्री धनराज पिता फुलचंद जी कोठारी एवं उनके पुत्र श्री मोहनलाल जी कोठारी, पृथ्वीराज जी, मगनलाल जी व नन्दलाल जी कोठारी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.09.1960 ईस्वी को विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। किन्तु वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, किन्तु वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी प्रदर्श–3 से प्रदर्श–7 द्वारा साबित कराया गया है। वादीगण द्वारा अपना पक्ष ठोस दस्तावेजों के आधार पर साबित कराने से तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है वे आराजी संख्या 492 में वादीगण के मालिकाना हक की कलम संख्या 1 में वर्णित पड़ौस व नाम की भूमि में वादीगण को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, वादीगण के उपयोग–उपभोग में विघ्न व बाधा उत्पन्न नहीं करे ?

....वादीगण

➢ वादीगण द्वारा तनकी नम्बर 1 को प्रदर्शित दस्तावेजों के साक्ष्य से वादग्रस्त आराजीयात पर अपने हक अधिपत्य एवं कब्जे को साबित कराया गया है। जिससे तनकी नम्बर 2 भी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर किये गए तनकीवार विवेचन के अनुसार न्यायालय का मत है कि वादीगण दस्तावेजों के आधार पर अपने पक्ष को साबित कराने में सफल रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्वर्गीय पिता श्री लालसिंह जी पिता जोरावर सिंह देवड़ा राजपुत द्वारा बिल एवज रूपया 300/– रूपये में श्री धनराज पिता फुलचंद जी कोठारी एवं उनके पुत्र श्री मोहनलाल जी कोठारी, पृथ्वीराज जी, मगनलाल जी व नन्दलाल जी कोठारी ने जरिये रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय पत्र दिनांक 15.09.1960 ईस्वी को विक्रय किया जाना दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित होता होता है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष कराने के लिए कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है, जिससे प्रतीत होता हो कि वादीगण के पक्ष में निष्पादित बेहनामा विधि के अनुरूप नहीं हो।

अतः तनकी वार विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1, 2 वादीगण के पक्ष में तय किये जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मटून, पटवार मण्डल मटून, भू अभिलेख क्षेत्र भोईयों की पंचोली तहसील गिर्वा, उदयपुर में खाता संख्या 112 आराजी संख्या 492 रकबा 0.0350 हैक्टयर भूमि में वादीगण के स्वामित्व, अधिपत्य की बाड़ा भूमि जिसकी लम्बाई 29 गज (58 फीट) व चौड़ाई 23 गज (46 फिट) होकर कुलिया क्षेत्रफल 2668 वर्गफिट हैक्टयर यानि 0.0250 हैक्टयर यानी खाता संख्या 112 आराजी संख्यर 492 के कुल हिस्से में से 5/7 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष 0.0100 हैक्टयर हिस्सा प्रतिवादीगण को 2/7 वां हिस्सा आनुपातिक हक–हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करे। तहसीलदार गिर्वा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 372/19 सन 2019 अनवान (1) हिम्मत सिंह पिता स्व. श्री मोहन लाल जी कोठारी (2) भगवतीलाल पिता स्व. श्री मोहन लाल जी कोठारी (3) भूरीलाल पिता स्व. श्री मोहन लाल जी कोठारी (4) ललित पिता स्व. श्री मोहन लाल जी कोठारी सर्व निवासीयान मटून तहसील गिर्वा, हाल–निवासीयान– मण्डी की नाल, तहसील गिर्वा, उदयपुर बनाम (1) श्री देवीसिंह पिता स्व. श्री लालसिंह राजपूत, निवासी–मटून, तहसील–गिर्वा उदयपुर के बजाय (1/1) श्रीमती भगवती कुंवर पत्नि स्व. श्री देवी सिंह जी देवड़ा (1/2) भगवत सिंह पिता स्व. श्री देवीसिंह देवड़ा (1/3) शंभू सिंह पिता स्व. श्री देवीसिंह देवड़ा (1/4) श्रीमती भंवर कंवर पिता स्व. श्री देवीसिंह देवड़ा (1/5) श्रीमती फुलकंवर पिता स्व. श्री देवीसिंह देवड़ा (1/6) श्रीमती रेखा कंवर पिता स्व. श्री देवीसिंह देवड़ा सर्व निवासीयान निवासी–मटून, तहसील–गिर्वा, उदयपुर (2) किशन सिंह पिता स्व. लाल सिंह राजपूत, निवासी–मटून, तहसील–गिर्वा, उदयपुर 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री कमलेश चौहान अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मटून, पटवार मण्डल मटून, भू अभिलेख क्षेत्र भोईयों की पंचोली तहसील गिर्वा, उदयपुर में खाता संख्या 112 आराजी संख्या 492 रकबा 0.0350 हैक्टयर भूमि में वादीगण के स्वामित्व, अधिपत्य की बाड़ा भूमि जिसकी लम्बाई 29 गज (58 फीट) व चौड़ाई 23 गज (46 फिट) होकर कुलिया क्षेत्रफल 2668 वर्गफिट हैक्टयर यानि 0.0250 हैक्टयर यानी खाता संख्या 112 आराजी संख्यर 492 के कुल हिस्से में से 5/7 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष 0.0100 हैक्टयर हिस्सा प्रतिवादीगण को 2/7 वां हिस्सा आनुपातिक हक–हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करे। तहसीलदार गिर्वा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे।

वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। गया। पर्चा डिक्री जारी हो।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख .....माह .....सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested